परिशिष्ट 1.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)

विभागों का संक्षिप्त परिचय

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
1	कृषि	विभाग का मुख्य उद्देश्य फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय पौधौं इत्यादि की फसलों के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योजना बनाना है। यह कृषक समुदाय के लिए गुणवत्ता आदानों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा सेवाओं के विस्तार के सन्दर्भ में नवीनतम तकनीक की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए भी उत्तरदायी है।
2	कृषि विपणन	विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, किसानों को मंडियों में विपणन सुविधायें उपलब्ध कराना और किसानों के लिए उनकी फसलों को बेचने के समय में उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना है।
3	पशुपालन	विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुधन को उपचार उपलब्ध करवाना, पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु सेवाएं प्रदान करना, टीकों का उत्पादन तथा प्रशिक्षण प्रदान करना आदि है।
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	विभाग का मुख्य उद्देश्य कला और स्थापत्य कला के विभिन्न रूपों में सन्निहित सांस्कृतिक विरासतों को खोजना, संरक्षण करना, सुरक्षा करना, प्रदर्शित करना तथा व्याख्या करने हेतु अनुकूल प्रयास करना है। यह अपने नियंत्रणाधीन स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों सहित पवित्र और धर्मनिरपेक्ष स्मारकों जैसे कि उत्कृष्ट मंदिरों, बड़ी मस्जिदों, विशाल किलों, भव्य महलों, कलात्मक स्मारकों, नक्काशीदार और चित्रित हवेलियों आदि का भी ध्यान रखता है।
5	कला एवं संस्कृति	विभाग का मुख्य उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं संरक्षण तथा कला और संस्कृति के मूर्त और अमूर्त दोनो रूपों को बढ़ावा देना है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
6	आयुर्वेद	विभाग का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, रोगों की रोकथाम करना, दवाओं की खरीद, उत्पादन तथा वितरण करना, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रदान करना है तथा भारतीय दवा प्रणाली पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं को अर्थसहाय्य देना है।
7	भाषा एवं पुस्तकालय	विभाग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, विकास, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' का उन्नयन करना है।
8	उपनिवेशन	विभाग का मुख्य कार्य राज्य के उपनिवेश क्षेत्रों में भूमि का विकास एवं आवंटन है। विभाग दूरदराज के कन्दरा और बंजर रेगिस्तानी इलाकों की आबादी को सिंचाई और परिवहन के समुचित साधन भी उपलब्ध करवाता है जिससे कि अनुपजाऊ रेगिस्तान तथा कन्दरा भूमि को उपजाऊ क्षेत्र में बदला जा सके।
9	सहकारिता	विभाग का मुख्य उद्देश्य सहकारी गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
10	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	विभाग का मुख्य कार्य बाढ़ और अकाल से संबंधित राहत उपाय करना है।
11	देवस्थान	विभाग का मुख्य कार्य मंदिरों/धार्मिक संस्थाओं में आत्म निर्भरता सृजित करना है। विभाग इनके नियंत्रण और प्रबंधन, पूजा की सुविधा उपलब्ध कराने, विभिन्न त्योहारों और मेलों के आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों का पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण तथा उनका नियंत्रण, देवस्थान विकास हेतु योजना बनाना, जनता के लिए धर्मशालाओं एवं आरामगृहों का निर्माण व उनका रखरखाव एवं विभिन्न मंदिरों हेतु महन्तों एवं पुजारियों की नियुक्ति करता है।
12	निर्वाचन	राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है तथा राज्य में क्षेत्रीय निकायों के लिए चुनाव विनियमित करने तथा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
13	रोजगार	विभाग का मुख्य उद्देश्य रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और नियमावली 1960 के प्रावधानों का समुचित प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
14	कर्मचारी राज्य बीमा	विभाग का मुख्य उद्देश्य बीमित श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों सहित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 98 के तहत चिकित्सा सेवा प्रदान करना है।
15	कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण	विभाग का मुख्य कार्य कारखानों एवं बॉयलरों का पंजीकरण और निरीक्षण; कारखाने के कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण हेतु प्रावधान की पालना सुनिश्चित करना; कारखाने और बॉयलर दुर्घटनाओं को कम से कम करना; कारखानों से बाल मजदूरी को खत्म करना; वेतन अधिनियम, 1936 कारखाना अधिनियम, 1948, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950, बॉयलर अधिनियम, 1923, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार का नियमन और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 1996 एवं उसके अधीन बने नियमों को लागू करना है।
16	वित्त	वित्त विभाग राज्य सरकार के सभी वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए नोडल विभाग है। यह संसाधनों के आवंटन सहित बुनियादी ढ़ांचे के विकास, सामाजिक कल्याण और मानव विकास को प्रभावित करने वाले राज्य के सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है।
17	मत्स्य	विभाग का मुख्य कार्य राज्य में मत्स्य और मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान है।
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों से उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, इसके भंडारण/हस्तगन, बफर भंडार के रखरखाव तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन और समुचित संचालन करना है।
19	सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन विभाग में कई लघु विभाग सम्मिलित है जैसे कि राज्य गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस, संपदा कार्यालय, नागरिक उड्डयन विभाग, गवर्नर हाउस तथा विधान सभा।
20	गोपालन	विभाग का मुख्य कार्य गौशाला का पंजीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रति उनका विकास, राज्य की गायों की स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और उन्नयन; कमी के दौरान चारा प्रबंधन; प्रसंस्करण के माध्यम से गौपालकों और गौशालाओं के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और पशु उत्पादों के मुल्य में वृद्धि करना है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
21	उच्च शिक्षा	विभाग राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रबंधन और प्रशासन के साथ-साथ उच्च शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
22	गृह	गृह विभाग में पुलिस, होम गार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सम्मिलित हैं। पुलिस, कानून प्रवर्तन अभिकरण है और होमगार्ड कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की सहायता करता है। एसीबी मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार के मामलों की खोज करने, जाँच करने और मुकदमा चलाने तथा एक ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का कार्य अपराध की जाँच करने के लिए वैज्ञानिक सहायता और सेवायें प्रदान करना है।
23	उद्यान	विभाग के मुख्य उद्देश्यों में फलों, सब्जियों, मसालों, औषधिय और फूलों की फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधे और किसानों को आपूर्ति करना, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, राज्य योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन. कृषि क्षेत्र जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, औषधिय पौधों के लिए राष्ट्रीय मिशन और किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करने के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना है।
24	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सरकार का शीर्ष स्तर पर प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान को आवंटित) के अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन भी करवाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान राजस्थान में या कहीं और विभिन्न राज्य/केन्द्रीय विभागों/उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों के लिए विशिष्ट उद्देश्य उन्मुख तथा लक्ष्य समूह उन्मुख दोनों ही सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाता है।
25	सूचना एवं जनसम्पर्क	विभाग राज्य सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। विभाग सरकार की नीतियों, जनता के कल्याण के निर्णय और योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रहा है।
26	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	विभाग का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
27	जेल	विभाग जेल भेजे गये लोगों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने में राज्य की सहायता करता है तथा यह कैदियों की अभिरक्षा और देखभाल के लिए जिम्मेदार है और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को कानून के अनुसार अपने कारावास की सजा प्रदान की जा रही है।
28	श्रम	विभाग को श्रम अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन का कार्य सौपा गया है।
29	विधि एवं विधिक कार्य	विभाग नियमित रूप से, मुकदमेबाजी, जिसमें राज्य एक पार्टी है, की प्रगति की निगरानी, प्रकरणों से निपटने की दक्षता में सुधार, प्रणालियों में सुधार तथा मजबूत बनाने हेतु दोषों का निदान, अनावश्यक मुकदमेबाजी और उनकी बहुलता को कम करने तथा मुकदमेबाजी के खर्च पर अंकुश लगाने के लिए स्थापित किया गया है।
30	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	विभाग को राज्य के नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का काम सौपा गया है। विभाग टीबी, मलेरिया, अंधापन, कुष्ठ रोग तथा एड्स जैसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन करता है।
31	चिकित्सा शिक्षा	विभाग का मुख्य कार्य राज्य में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।
32	अल्पसंख्यक मामलात	विभाग अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन) से संबंधित मामलों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति और विकास कार्यक्रमों के निर्माण करने हेतु स्थापित किया गया है।
33	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण	विभाग राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के साथ संबंधित है और यह पेंशनभोगी के कल्याण को बढ़ावा देने और पेंशनभोगी की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
34	कार्मिक	विभाग कार्मिक मामलों में राज्य सरकार की समन्वय एजेंसी है विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों में।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
35	आयोजना	राज्य आयोजना विभाग, राज्य स्तर पर योजना तैयार करने एवं इसकी निगरानी करने तथा योजना के निर्माण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है।
36	मुद्रण एवं स्टेशनरी	विभाग का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों के लिए मुद्रण और स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराना, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों, नियमों, अधिनियमों, अध्यादेशों आदि को प्रकाशित करना है। विभाग संसद, विधान सभा, पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए बैलेट पत्रों के मुद्रण का भी कार्य करता है।
37	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	विभाग राज्य के निवासियों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर तथा स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की आपूर्ति प्रणालियों के कुशल संचालन एवं रखरखाव के लिये उत्तरदायी है।
38	राजस्थान लोक सेवा आयोग	राजस्थान लोक सेवा आयोग सरकार के विभिन विभागों के अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रधान आयोग है। इसमें लिपिकीय संवर्ग की भर्ती और राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा में भर्ती भी सम्मिलित है।
39	सैनिक कल्याण	विभाग का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य करना है।
40	संस्कृत शिक्षा	विभाग के मुख्य कार्य संस्कृत शिक्षा का नियोजित विकास और विस्तार करना, संस्थानों को मजबूत बनाना तथा उन्नयन करना, नये संस्थानों की स्थापना करना, नये विषयों को प्रारम्भ करना तथा शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।
41	प्राथमिक शिक्षा	विभाग के मुख्य कार्य शिक्षा की नीतियों को बनाना, उचित प्रबंधन और प्रशासन के साथ प्राथमिक शिक्षा का कार्यान्वयन एवं विस्तार करना; अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार करना तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय नियोजन करना है।
42	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन और निर्धारण, क्रियान्वयन, विस्तार, प्रबंधन, विभिन्न भाषाओं को प्रोत्साहन, शैक्षणिक गतिविधियों का विकास तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए धन का विनियोग करना विभाग के मुख्य कार्य हैं।
43	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विभाग विशेष रूप से विकलांग, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति केंद्रित एंव समर्पित है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग का उद्देश्य/कार्य
44	राज्य उद्यम	विभाग के मुख्य कार्य तीन इकाइयों (i) राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना (ii) राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, डीडवाना (क्रूड सोडियम सल्फेट के कार्य) तथा (iii) राजकीय उपक्रम ब्यूरो, जयपुर के माध्यम से नमक और रासायनिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है।
45	राज्य मोटर गैराज	विभाग का मुख्य कार्य राज्य सरकार के विभागों, मंत्रियों, सचिवों, जिला पूल और राज्य के अतिथियों के लिए वाहनों का प्रबंधन करना है। विभाग वाहनों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद, मरम्मत एवं रखरखाव तथा विभिन्न विभागों के अनुपयोगी वाहनों की नीलामी की व्यवस्था भी करता है।
46	तकनीकी शिक्षा	विभाग का मुख्य उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकीयों पर प्रशिक्षण प्रदान करके इंजीनियरों तथा प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभाग बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत बनाने, मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने, उद्योग की मानवशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कौशल विकास करके तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सम्मिलित है।
47	जनजातीय क्षेत्रीय विकास	विभाग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंव बौद्धिक विकास तथा आदिवासी विकास योजनाओं का निर्माण करना है। विभाग का उद्देश्य आदिवासी बहुल इलाकों को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है।
48	महिला एवं बाल विकास	विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करके बच्चों और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों तथा उनके विकास के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित कर उन्हे मुख्यधारा में लाना है।
49	नगरीय विकास एवं आवासन	विभाग का मुख्य कार्य मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाओं तथा भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्था करना है।
50	युवा एवं खेल मामले	विभाग की मुख्य गतिविधियां खेलों का विकास एवं प्रोत्साहन करने, खेलों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके खेल वातावरण उपलब्ध करवाने, युवाओं में राष्ट्रीय अखंडता, सामंजस्य तथा चरित्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है।

परिशिष्ट 1.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 3)

पिछले पांच वर्षो के दौरान की गयी निष्पादन तथा अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 1 (2011-12)	2.2	विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना	माध्यमिक शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 87वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 190वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.1.1	आर्थिक सहायता का अनाधिकृत समायोजन	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	वर्ष 2014-15 का 47वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2015-16 का 101वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.1.2	अनियमित व्यय	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 199वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.1.3	संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कम/देरी से कटौती	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2014-15 का 42वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2015-16 का 100वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.2.2	मशीनों का अनुपयोगी रहना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.3.1	पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	वित्त विभाग	वर्ष 2014-15 का 47वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2015-16 का 101वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.4.2	यूनिसेफ की सहायता का लाभ नही उठाना	श्रम विभाग	वर्ष 2014-15 का 47वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2015-16 का 101वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.3	राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्य चालन	श्रम विभाग	वर्ष 2015-16 का 85वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.4	केन्द्रीय निधि का अनुपयोगी रहना	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 205 वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.5	निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.6	अनियमित/अधिक भुगतान	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2016-17 का 152वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.7	निधियों का अनुपयोगी रहना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.8	स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण न होना/अपूर्ण रह जाना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग	वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.9	जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने में देरी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2014-15 का 42वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2015-16 का 100वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.10	निष्फल व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 140वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 212वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.11	सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली का अभाव	तकनीकी शिक्षा विभाग	वर्ष 2016-17 का 144वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2 (2012-13)	2.1.1	अनियमित व्यय	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 96वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 201वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.1.2	निधियों का अनधिकृत विपथन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 199वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.1.3	निविदा का वैधता अवधि में अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के कारण उच्च दर पर कार्य का आवंटन	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	वर्ष 2015-16 का 89वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 207वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.2.1	निष्फल व्यय	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 96वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 201वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.2.2	परिहार्य व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 140वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 212वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.2.3	परिहार्य व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 140वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 212वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.3.1	पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	वित्त विभाग	वर्ष 2015-16 का 59वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 151वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.4.1	जयपुर में 79 राजकीय अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हस्तन तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनियमन्	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन तथा पर्यावरण विभाग	वर्ष 2016-17 का 136वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	कियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	2.4.2	मानस आरोग्य सदन हार्ट केयर एण्ड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल की लीज के लिये निजी जन सहभागिता निविदा मूल्यांकन एवं एग्रीमेंट में हेरफेर के कारण ₹ 290.16 करोड़ की हानि	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 205वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.4.3	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना	स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 60वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 118वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.4.4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितताऐं	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	वर्ष 2015-16 का 92वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	2.4.5	ट्रौमा केन्द्रों के संचालित नहीं होने के कारण अनुत्पादक व्यय	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) चिकित्सा शिक्षा	वर्ष 2017-18 का 205वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
				वर्ष 2015-16 का 95वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	वर्ष 2017-18 का 213वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.4.6	अवमानक गुणवत्ता की औषधि आपूर्ति की वसूली नहीं करना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 199वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.4.7	अनुत्पादक व्यय	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	वर्ष 2015-16 का 95वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 213वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	कियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	2.4.8	पूरक पोषाहार के अनधिकृत व अनियमित नष्टीकरण के कारण हानि	महिला एवं बाल विकास विभाग	वर्ष 2015-16 का 108वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2016-17 का 180वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1 (2013-14)	2.1	राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	वर्ष 2016-17 का 146वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 198वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	2.2	राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण	गृह विभाग	वर्ष 2016-17 का 168वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	2.3	पेयजल की गुणवत्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 169वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.1.1	पाईपों की आपूर्ति पर परिहार्य व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2017-18 का 193वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.1.2	अनियमित एवं अनधिकृत व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2017-18 का 193वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.2.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जाना	श्रम विभाग	वर्ष 2015-16 का 85वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.2.2	तीन वर्ष से अधिक समय तक निधियों का अवरोधन	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 94वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 205वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.2.3	परियोजना के निष्पादन में विलम्ब	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 164वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.2.4	परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2017-18 का 193वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.3.1	पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	वित्त विभाग	वर्ष 2016-17 का 158वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 211वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	वर्ष 2017-18 का 197वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.2	बालिकाओं के साथ भेदभाव को रोकने की योजनाओं का क्रियान्वयन	महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभाग	वर्ष 2016-17 का 165वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.3	खेल अवसंरचना/स्टेडियम का निर्माण	युवा मामले एवं खेल विभाग	वर्ष 2016-17 का 161वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.4	सरकारी देयताओं की वसूली का अभाव	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2015-16 का 96वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	वर्ष 2017-18 का 201वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)
	3.4.5	निधियों के अवरोधन से ब्याज की हानि	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	वर्ष 2016-17 का 164वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.4.6	गैर-परिचालित छात्रावासों से अनुदान की वसूली का अभाव	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	वर्ष 2015-16 का 92वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.4.7	विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुपयोगी रहना	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	वर्ष 2017-18 का 197वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 3 (2014-15)	2.1	किशोर गृहों का संचालन	बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	चर्चा प्रक्रियाधीन है ।	-
	2.2	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली	तकनीकी शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	-
	3.1	किसानों को कृषि आदान अनुदान पर ₹ 21.29 करोड़ का अस्वीकार्य एवं अतिरिक्त अनियमित व्यय	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	वर्ष 2017-18 का 185वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.2	नर्सिंग कॉलेज भवन निर्माण पर अलाभकारी व्यय	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2017-18 का 202वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.3	अनियमित एवं अनाधिकृत स्वीकृति	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.4	निष्फल व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.5	अनुदान का अनुपयोगी रहना	चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2017-18 का 202वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.6	उच्च दरें अनुमोदित करने के कारण अतिरिक्त दायित्व का सृजन	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.7	सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त दायित्व	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा प्रक्रियाधीन है।	-
	3.8	कार्य के निष्पादन में असामान्य विलम्ब	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा प्रक्रियाधीन है।	-
	3.9	अलाभकारी व्यय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.10	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की निजी जन सहभागिता परियोजना	कृषि विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.11	राज्य में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं पुरावस्तुओं का परिरक्षण, संरक्षण एवं संधारण	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.12	मशीनरी, उपकरण, औजार एवं सयंत्रों का आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में क्रय एवं उपयोग	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चर्चा प्रक्रियाधीन है।	-
	3.13	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का क्रियान्वयन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	वर्ष 2017-18 का 200वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.14	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम-2011 का क्रियान्वयन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	वर्ष 2017-18 का 215वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.15	बीसलपुर-दूदू पेयजल आपूर्ति परियोजना	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.16	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2009-10 में सम्मिलित जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति की निष्पादन लेखापरीक्षा पर जन लेखा समिति/लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.17	राजीव गाँधी विद्यार्थी डिजिटल योजना का क्रियान्वयन	माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग	वर्ष 2017-18 का 203वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.18	निर्धारित जांच एवं शेष राशि को देखने में विफलता के कारण जल परिवहन पर संदिग्ध भुगतान	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	-
	3.19	अनुज्ञप्तिधारी को अदेय लाभ	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	-
	3.20	ऋणों एवं अग्रिमों के समायोजन/वसूली का अभाव	खेल एवं युवा मामले विभाग	वर्ष 2017-18 का 214वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.21	बकाया राशि की वसूली नहीं होना	खेल एवं युवा मामले विभाग	वर्ष 2017-18 का 219वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-
	3.22	निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं होना	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	वर्ष 2017-18 का 191वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	-

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.23	मार्गरेखा परिवर्तन के कारण सीवरेज लाईन के निर्माण पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	–
	3.24	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का अभाव	महिला एवं बाल विकास विभाग	वर्ष 2017-18 का 189वां प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा)	–
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 2 (वर्ष 2015-16)	2.1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	2.2	नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन	स्कूल शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.1	किसानों को कृषि आदान अनुदान पर अस्वीकार्य एवं अनियमित अतिरिक्त व्यय	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.2	पाईपों पर अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.3	अनियमित तथा अनाधिकृत स्वीकृति	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा की जानी है ।	–
	3.4	मॉडल एवं छोटी नर्सरियों की स्थापना पर निष्फल व्यय	कृषि विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	–

वर्ष तथा प्रतिवेदन संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	विभाग का नाम	जन लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष
	3.5	क्षेत्रीय जलापूर्ति येाजना के कार्यो पर निष्फल व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.6	नवजीवन छात्रावास के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	–
	3.7	पेंशन का अधिक/कम भुगतान	वित्त विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.8	उपभोक्ता संरक्षण हेतु अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन	उपभोक्ता मामले विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	–
	3.9	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2004-05 में सम्मिलित 'कारागार विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा' पर जन लेखा समिति/लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही	गृह (कारागार) विभाग	प्रतिवेदन का जन लेखा समिति द्वारा अंतिमीकरण किया जाना है।	–
	3.10	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आरोग्य ऑनलाईन	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.11	क्रीडा संवर्धन शुल्क एवं शास्ति का वसूली का अभाव	उच्च शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.12	जनजाति भवन के निर्माण का अभाव	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.13	औषधियों का अनुपयोजन	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चर्चा की जानी है।	–
	3.14	संवेदकों को अदेय लाभ	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चर्चा की जानी है।	–

परिशिष्ट 1.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 12)

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर देने का अभाव

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		सहकारिता	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/भंडार एवं नकद की चोरी	01	-	12	468.42
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियाँ	23	388.53	00	-
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	03	16.60	00	-
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	41	487.54	07	19963.22
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	28	8,725.22	03	5.92
6.	विनियामक प्रकरण	397	35,194.58	71	65003.00
7.	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	113	76,603.87	07	8621.95
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	27	23,633.59	00	-
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	59	15,832.29	06	20785.23
10.	विविध	242	1,35,291.19	66	41875.40
	योग	**934**	**2,96,173.41**	**172**	**1,56,723.14**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.1; पृष्ठ 24)

नमूना जाँच स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	पाई गई कमियाँ	संख्या	स्वास्थ्य देखभाल केंन्द्र
1	चारदीवारी का निर्माण नहीं होना/ क्षतिग्रस्त होना	14	जिला अस्पताल: लोंगिया
			औषधालय: हल्दीना, हटूण्डी, ईस्माईलपुर, अराई, नानण, सिरस, तेहरालोधा, पैंगोर, नयावास, कुण्डई, जावर, कठार और गुसाईंसर
2	विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता का अभाव	14	औषधालय: टोडानागर, हटूण्डी, अराई, सांपला, रोहिचा खुर्द, खुडाला, पीलवा, कुराड, निठार, नयावास, कुण्डई, खेमपुर, नान्देशां और रौडा
3	पेयजल सुविधा की उपलब्धता का अभाव	19	औषधालय: टोडानागर, हटूण्डी, ईस्माईलपुर, शाहपुर, हरसौरा, अराई, सांपला, नानण, पीलवा, उण्डवा, कुराड, सिरस, तेहरालोधा, सरसैना, निठार, कुण्डई, जावर, नान्देशां और रौडा
4	शौचालय सुविधा की उपलब्धता का अभाव	18	औषधालय: हटूण्डी, शाहपुर, हरसौरा, अराई, डबरेला, नागौला, सांपला, नानण, पीलवा, सिरस, तेहरालोधा, सरसैना, निठार, पैंगोर, नयावास, कुण्डई, कठार और नान्देशां
5	स्वास्थ्य देखभाल इकाई सड़क से जुड़ी नहीं होना	6	औषधालय: टोडानागर, हटूण्डी, सिरस, हेलक, कुण्डई और गुसाईंसर
6	स्वास्थ्य देखभाल इकाई सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा नही होना	15	औषधालय: हल्दीना, उल्लाहेडी, टोडानागर, हटूण्डी, डबरेला, सिरस, तेहरालोधा, सरसैना, हेलक, नयावास, कुण्डई, जावर, शेखसर, कठार और गुसाईंसर
7	रैम्प उपलब्धता का अभाव	26	जिला अस्पताल: अलवर
			औषधालय: टोडानागर, हटूण्डी, ईस्माईलपुर, शाहपुर, हरसौरा, हल्दीना, अराई, नागौला, सिलौरा, सांपला, उण्डवा, कुराड, सिरस, तैहरालोधा, सरसैना, निठार, पैंगोर, पीलवा, नयावास, कुण्डई, जावर, कठार, शेखसर, रोडा और गुसाईंसर

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.4 (iii); पृष्ठ 30)

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर मार्च 2017 को मानवशक्ति के असंगत पदस्थापन का विवरण

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम	चिकित्सा अधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर		
		मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)	मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)
जिला चिकित्सालय (6)	लौगिंया, अजमेर	12	7	(–)5	35	18	(–) 17
	अलवर	4	4	–	5	8	(+)3
	कोटा	4	5	(+)1	5	12	(+)7
	खांडाफलसा, जोधपुर	4	5	(+)1	5	17	(+)12
	मोती चोहट्टा उदयपुर	12	6	(–)6	35	13	(–)22
	बीकानेर	4	5	(+)1	5	7	(+)2
	योग	**40**	**32**	**(–)8**	**90**	**75**	**(–)15**

लेखापरीक्षा आक्षेप:

(i) मानकों के अनुसार 40 चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष केवल 32 चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

(ii) तीन जिला चिकित्सालयों (खाण्डाफलसा जोधपुर, बीकानेर और कोटा)में प्रत्येक में मानकों के अनुसार चार की आवश्यकता के समक्ष पांच चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

(iii) मानकों के अनुसार प्रत्येक में 12 चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष जिला चिकित्सालय लोंगिया अजमेर और मोती चौहट्टा उदयपुर में क्रमश: सात और छ: चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

(iv) मानकों के अनुसार चार जिला चिकित्सालयों (खाण्डाफलसा जोधपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर) में 20 नर्स/कम्पाउण्डरों के समक्ष 44 नर्स/कम्पाउण्डर पदस्थापित थे, जो कि आवश्यकता से 24 अधिक थे। जबकि 31 नर्स/कम्पाउण्डर दो जिला चिकित्सालयों (लोंगिया अजमेर और मोती चौहट्टा उदयपुर) में पदस्थापित थे जो आवश्यकता से 39 कम थे।

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम	चिकित्सा अधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर		
		मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)	मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)
चिकित्सालय (10)	ब्यावर	4	4	–	5	6	(+)1
	मदनगंज किशनगढ़	3	4	(+)1	4	7	(+)3
	दादिया	3	4	(+)1	4	2	(–)2
	खैरथल	3	2	(–)1	4	3	(–)1
	राजगढ़	3	3	–	4	4	–
	भरतपुर	4	3	(–)1	5	15	(+)10
	कुम्हेर	3	4	(+)1	4	4	–
	आयड़	3	3	–	4	1	(–)3
	जगदम्बा मसूरियां	3	2	(–)1	4	7	(+)3
	मावली	3	3	–	4	4	–
	योग	**32**	**32**	**–**	**42**	**53**	**(+)11**

लेखा परीक्षा आक्षेप:

(i) मानकों के अनुसार प्रत्येक में तीन चिकित्सा अधिकारियों की तुलना में मदनगंज किशनगढ और दादिया (जिला अजमेर) और कुम्हेर (जिला भरतपुर) में चार चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

(ii) मानकों के अनुसार 10 चिकित्सा अधिकारियों (खैरथल (3) भरतपुर (4) और जगदम्बा मसूरिंया (3)) के समक्ष सात चिकित्सा अधिकारी (खैरथल (2) भरतपुर (3) और जगदम्बा मसूरिंया (2)) चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

(iii) मानकों के अनुसार प्रत्येक में चार नर्स/कम्पाउण्डरों के समक्ष मदनगंज किशनगढ़ और जगदम्बा मसूरियां में सात नर्स/कम्पाउण्डर पदस्थापित थे जबकि मानकों के अनुसार प्रत्येक में पांच के समक्ष ब्यावर और भरतपुर में क्रमश: छ: और 15 पदस्थापित थे।

(iv) मानकों के अनुसार प्रत्येक में चार के समक्ष दादिया, खैरथल और आयड़ में क्रमश: दो, तीन और एक नर्स/कम्पाउण्डर पदस्थापित थे।

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम	चिकित्सा अधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर		
		मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(-)	मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(-)
औषधालय (36)	सांपला	1	1	–	1	0	(–)1
	अराई	1	1	–	1	0	(–)1
	डबरेला	1	0	(–)1	1	1	–
	हल्दीना	1	1	–	1	1	–
	हरसौरा	1	1	–	1	1	–
	हटूण्डी	1	1	–	1	1	–
	ईस्माईलपुर	1	1	–	1	1	–
	नागौला	1	0	(–)1	1	1	–
	रोडा	1	1	–	1	1	–
	शाहपुर	1	1	–	1	1	–
	सिलौरा	1	1	–	1	1	–
	टोडानागर	1	1	–	1	1	–
	उल्लाहेडी	1	1	–	1	1	–
	गीता भवन	1	1	–	1	1	–
	नानण	1	1	–	1	1	–
	रोहिचा खुर्द	1	1	–	1	0	(–)1
	कुण्डई	1	1	–	1	1	–
	पीलवा	1	0	(–)1	1	0	(–)1
	सरसैना	1	1	–	1	1	–
	तेहरालोधा	1	1	–	1	1	–
	निठार	1	1	–	1	1	–
	हेलक	1	1	–	1	1	–

स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम	चिकित्सा अधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर		
		मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)	मानदंडों के अनुसार आवश्यक	पदस्थापित	मानदंडों के अनुसार अधिक(+) /कम(–)
	सिरस	1	1	–	1	1	–
	पैंगोर	1	1	–	1	1	–
	उण्डवा	1	1	–	1	0	(–)1
	कुराड	1	1	–	1	1	–
	शेखसर	1	1	–	1	1	–
	साथासर	1	1	–	1	1	–
	गुसाईंसर	1	1	–	1	1	–
	धानमण्डी	1	1	–	1	2	(+)1
	नान्देशां	1	0	(–)1	1	1	–
	कठार	1	1	–	1	1	–
	खेमपुर	1	0	(–)1	1	1	–
	जावर	1	1	–	1	1	–
	खुडाला	1	1	–	1	1	–
	नयावास	1	1	–	1	1	–
	योग	**36**	**31**	**(–)5**	**36**	**32**	**(–)4**

लेखापरीक्षा आक्षेप:

(i) मानकों के अनुसार प्रत्येक में एक चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पांच औषधालयों (डबरेला, नागौला, पीलवा, खेमपुर और नान्देशां) में कोई भी चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित नहीं था।

(ii) मानकों के अनुसार प्रत्येक में एक नर्स/कम्पाण्डर के समक्ष पांच औषधालयों (अराई, सांपला, उण्डवा, पीलवा और रोहिचा खुर्द) में कोई भी नर्स/कम्पाण्डर पदस्थापित नहीं था जबकि एक औषधालय धानमण्डी में दो नर्स/कम्पाण्डर पदस्थापित थे।

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.11.1; पृष्ठ 46)

वर्ष 2015-17 के दौरान भरतपुर रसायनशाला द्वारा सभी जिला आयुर्वेद अधिकारियों को औषधियों का वितरण न किए जाने का विवरण

क्र.सं.	औषधि का नाम	अन्य रसायनशालाओं से प्राप्त मात्रा	जारी करने की तारीख	जिला आयुर्वेद अधिकारियों के नाम जिन्हें औषधियां वितरित की गई (संख्या)	जिला आयुर्वेद अधिकारियों के नाम जिन्हें औषधियां वितरित नहीं की गई (संख्या)
2015-16					
1	आँवला चूर्ण	450 किलोग्राम	30.07.2015 से 03.08.2015	कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड़, धौलपुर और सवाई माधोपुर (6)	अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली (4)
2	अविप्पतिकर चूर्ण	1000 किलोग्राम	30.07.2015 से 20.08.2015	कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर (8)	धौलपुर और करौली (2)
3	सितोपलादि चूर्ण	4500 किलोग्राम	30.07.2015 से 03.08.2015	कोटा, बारां, बून्दी, भरतपुर और दौसा (5)	अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और धौलपुर (5)
4	उदावर्तहर चूर्ण	700 किलोग्राम	30.07.2015 से 03.08.2015	कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर और धौलपुर (7)	बांरा, बून्दी और झालावाड़ (3)
5	शोथहर क्वाथ	240 किलोग्राम	30.07.2015 से 02.08.2015	कोटा, झालावाड़, धौलपुर और भरतपुर (4)	बारां, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, करौली और बून्दी (6)
6	अर्क मकोय	156 लिटर	08.03.2016 से 14.03.2016	धौलपुर और भरतपुर (2)	बारां, बून्दी, कोटा, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ (8)
2016-17					
1	कुटकी चिरायता चूर्ण	800 किलोग्राम	03.08.2016 से 05.08.2016	कोटा, बारां, बून्दी, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और धौलपुर (7)	झालावाड़, भरतपुर और अलवर (3)
2	लवण भास्कर चूर्ण	750 किलोग्राम	03.08.2016 से 05.08.2016	अलवर, झालावाड़, करौली और धौलपुर (4)	कोटा, बारां, बून्दी, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर (6)

क्र.सं.	औषधि का नाम	अन्य रसायनशालाओं से प्राप्त मात्रा	जारी करने की तारीख	जिला आयुर्वेद अधिकारियों के नाम जिन्हें औषधियां वितरित की गई (संख्या)	जिला आयुर्वेद अधिकारियों के नाम जिन्हें औषधियां वितरित नहीं की गई (संख्या)
3	नागकेसर चूर्ण	350 किलोग्राम	02.08.2016 से 05.08.2016	भरतपुर, बारां, बून्दी, सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा और झालावाड़ (7)	अलवर, करौली और धौलपुर (3)
4	बालसुधा भस्म	355.500 किलोग्राम	02.08.2016 से 05.08.2016	अलवर और भरतपुर (2)	कोटा, बारां, बून्दी, झालावाडं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली (8)
5	शतावरी चूर्ण	1050 किलोग्राम	03.08.16	करौली और धौलपुर (2)	कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, अलवर और झालावाडं (8)

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.11.1; पृष्ठ 46)

भरतपुर रसायनशाला द्वारा औषधियों को देरी से वितरण किए जाने का विवरण

क्र.सं.	औषधि का नाम	प्राप्त मात्रा	रसायनशाला में प्राप्ति की दिनांक	जिला आयुर्वेद अधिकारियों को जारी करने की तिथि	विलंब (महीनों में)
1	अविपत्तिकरचूर्ण	1004 किलोग्राम	26.08.2015	08.03.2016 से 14.03.2016	06 माह
2	महासुर्दशन चूर्ण	1800 किलोग्राम	11.03.2014	26.03.2014 से 09.02.2015	11 माह
3	हिंगवाष्टक चूर्ण	1080 किलोग्राम	04.08.2014	03.03.2015 से 08.09.2015	07 से 13 माह
4	सितोपलादी चूर्ण	4500 किलोग्राम	11.11.2013	09.01.2014 से 29.12.2015	02 से 13 माह
5	त्रिफला चूर्ण	412.500 किलोग्राम	22.09.2014	31.07.2015 से 16.10.2015	10 से 13 माह
6	दशमूल क्वाथ	1160 किलोग्राम	06.01.2015	12.02.2015 से 31.01.2016	01 से 12 माह
7	गोजिव्हादि क्वाथ	5000 किलोग्राम	22.09.2014	23.09.2014 से 19.01.2016	16 माह
8	अर्क विशुचिकान्तक	1760 बोतल	22.09.2014	23.09.2014 से 03.08.2015	11 माह
9	अर्जुनत्वक चूर्ण	2000 किलोग्राम	09.02.2016	02.08.2016 से 05.08.2016	06 माह
10	लवणभास्कर चूर्ण	750 किलोग्राम	25.02.2016	02.08.2016 से 05.08.2016	06 माह
11	मधुयष्टि चूर्ण	550 किलोग्राम	25.02.2016	20.02.2017 से 28.02.2017	12 माह

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.12; पृष्ठ 47)

2012-2017 के दौरान औषधि निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	नाम	औषधि निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जयपुर	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	30	–	–	–	–
	श्री महेश कुमार शर्मा	122	129	121	134	120
जोधपुर	श्री महेन्द्र कच्छावा	67	86	118	–	–
	श्री इन्द्रवीर भारद्वाज	–	–	–	37	66
उदयपुर	श्री राम पाल सोमाणी	04	–	–	–	–
	श्री सुरेश चन्द शर्मा	–	129	67	–	–
	श्री अमर चन्द कविया	–	–	–	90	64
अजमेर	श्री अमर चन्द कविया	80	38	33	–	–
भरतपुर/कोटा	श्री जगदीश उपाध्याय	36	36	40	–	–
	कुल निरीक्षण	**339**	**418**	**379**	**261**	**250**
	कुल इकाईयां	280	295	285	297	302
	कुल किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या	560	590	570	594	604
	उपलब्धि	**60.54 प्रतिशत**	**70.85 प्रतिशत**	**66.49 प्रतिशत**	**43.94 प्रतिशत**	**41.39 प्रतिशत**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.12.1; पृष्ठ 78)

राज्य में संचालित वृहद् पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं एवं नमूना परीक्षित जिलों की स्थिति प्रदर्शित करता विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों में वृहद् पेय जल परियोजनाओं की स्थिति							
		अलवर	भरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	नागौर	उदयपुर
संचालित वृहद् पेय जल परियोजनाओं की कुल संख्या	54	0	3	1	5	7	1	2	0
कुल स्वीकृत लागत	25,790.61	0.00	1,580.49	106.00	2,030.11	2,075.19	118,04	4,132.26	0.00
मार्च 2017 तक व्यय	14,185.44	0.00	511.45	99.00	1,540.30	1,282.06	50.74	1,837.26	0.00
विलम्बित वहद् पेय जल परियोजनाऐं एवं उनके कारणों का विवरण									
विलम्बित परियोजनाओं की संख्या	37*	0	2	0	4	4	1	2	0
कुल स्वीकृत लागत	20,695.8	0.00	1,269.00	0.00	1,450.11	1,355.15	118.04	4,132.26	0.00
मार्च 2017 तक व्यय	8,831.87	0.00	408.94	0.00	593.13	578.57	50.83	465.30	0.00
विलम्ब के कारण									
(i) संवेदक के कारण कार्य की धीमी प्रगति	36	0	2	0	4	4	1	1	
(ii) गुणवत्ता प्रकरण	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) मध्यस्थता एवं मुकदमेबाजी सहित संविदात्मक समस्याऐं	3	0	0	0		0	0	1	0
(iv) स्रोत / पाईपलाईन संबंधित समस्याऐं	5	0	0	0	1	0	0	1	0
(v) भूमि की अनुपलब्धता/कब्जा संबंधी समस्याऐं	19	0	0	0	1	3	0	0	0
(vi) वैधानिक निर्बाधन/ संबंधित प्रधिकारी से अनुमतियां उपलब्ध नही होना	11	0	1	0	1	0	1	0	0
(vii) विद्युत / शक्ति संयोजन का अभाव	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(viii) निधियों का अभाव /कमी	2	0	0	0	0	0	0	1	0

स्रोत: आईएमआईएस

* यद्यपि परियोजनाओं को पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों को आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तथापि विलम्ब के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी थे । यद्यपि, कार्य को प्रमुख श्रेणी के अनुसार श्रैणीबद्ध किया गया है ।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.12.1; पृष्ठ 78)

राज्य में संचालित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं एवं नमूना परीक्षित जिलों की स्थिति प्रदर्शित करता विवरण पत्र

विवरण	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति							
		अलवर	भरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	नागौर	उदयपुर
संचालित योजनाओं की कुल संख्या	1,356	25	179	2	31	115	2	144	2
ज.स्वा.अभि.वि. द्वारा आईएमआईएस पर अद्यतन संचालित योजनाओं की संख्या	437	0	123	0	3	3	0	3	0
बिना विलम्ब के संचालित योजनाऐं	318	0	52	0	1	0	0	3	0
प्राक्कलित लागत (₹ करोड़ में)	14,491.40	0.00	1,531.80	0.00	1,089.59	920.30	0	392.81	0.00
व्यय (₹ करोड़ में)	2,552.20	0.00	196.65	0.00	193.05	299.48	0	172.94	0.00
विलम्बित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं एवं उनके कारणों का विवरण									
(i) सामग्री उपलब्ध नहीं	1	0	0	0	1	0	0	0	0
(ii) भूमि की अनुपलब्धता/कब्जा समस्याऐ	48	0	44	0	1	2	0	0	0
(iii) मध्यस्थता एवं मुकदमेबाजी सहित संविदात्मक समस्याऐं / लोक अशांति एवं विरोध	22	0	5	0	0	1	0	0	0
(iv) निविदाओं की आंशिक स्वीकृति/ संवेदकों/अभिकरणों द्वारा अप्रतिस्पर्धात्मक बोली	1	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति							
		अलवर	भरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	नागौर	उदयपुर
(v) वैधानिक निर्बाधन/ संबंधित प्रधिकारियों से अनुमतियां अनुपलब्ध होना	21	0	0	0	0	0	0	0	0
(vi) स्रोत संबंधी समस्याऐं	15	0	14	0	0	0	0	0	0
(vii) निधियों का अभाव /कमी	3	0	1	0	0	0	0	0	0
(viii) विद्युत / शक्ति संयोजन उपलब्ध नहीं	8	0	7	0	0	0	0	0	0
कुल विलम्बित योजनाऐं	**119**	**0**	**71**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**

स्रोत: आईएमआईएस

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.12.6; पृष्ठ 87)

अपूर्ण/ विलम्बित योजनाओं को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य आदेश की दिनांक एवं (राशि)	पूर्णता का निर्धारित माह	जूलाई 2017 तक विलम्ब की अवधि	जूलाई 2017 तक व्यय	कार्य की स्थिति एवं विलम्ब के कारण
1	श.ज.आ.यो. राजीव गांधी नगर-प्रेम नगर-लखावा	नवम्बर 2012 (66.89)	जून 2014	37 माह	59.76	रोड़ कटिंग की अनुमति प्राप्ति में विलम्ब, वन भूमि के निर्बाधन का अभाव, संवेदक द्वारा धीमी प्रगति के कारण अपूर्ण
2	जजीवाल कलां में ओ.एच. एस.आर. का निर्माण (आरडब्ल्यूएसएस माणकलाव-दैजर-बनाड़)	फरवरी 2011 (0.39)	अगस्त 2012	59 माह	0.28	गोला बारूद डिपो के निकट होने से रक्षा विभाग द्वारा आपत्ति उठाने के कारण अपूर्ण
3	श.ज.आ.यो. कोटा-अकेलगढ़ -दशहरा मैदान	मई 2014 (3.58)	मार्च 2015	28 माह	8.70	रोड़ कटिंग की अनुमति प्राप्ति में विलम्ब, भूमि विवाद एवं अतिक्रमण के कारण अपूर्ण
4	आरडब्ल्यूएसएस दूदू	अप्रैल 2013 (1.72)	जनवरी 2014	42 माह	1.33	संवेदक के द्वारा धीमी प्रगति के कारण अपूर्ण
5	श.ज.आ.यो. सांभरलेक	अक्टूबर 2012 (3.56)	नवम्बर 2013	44 माह	2.45	संवेदक के द्वारा धीमी प्रगति के कारण अपूर्ण
6	श.ज.आ.यो. सांभर-फुलेरा	सितम्बर 2008 (0.86)	जून 2009	96 माह	1.86	ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण अपूर्ण
7	श.ज.आ.यो. खौ-नागोरियान	नवम्बर 2012 (8.61)	फरवरी 2014	41 माह	7.86	पूर्ण लेकिन आसपास के निवासियों द्वारा विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं
	योग				**82.24**	

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 162)

निर्धारित अवधि के बाद आपूर्तित पाईपों का विवरण दर्शाने वाला पत्र

क्र.सं.	पाईपों का आकार	आपूर्ति के लिए निर्धारित माह	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मीटर में)	निर्धारित अवधि तक आपूर्तित कुल मात्रा (मीटर में)	विलम्ब के साथ आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	आपूर्ति हेतु दर (₹ में)	पाईप की लागत (₹ में)	0.25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	विलम्ब के माह	योग (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9 (8*0.25%)	10	11 (9*10)
अ. रॉ वाटर राइजिंग मेन										
1	600 एमएम एमएस पाईप (6.3 एमएम मोटा)	अप्रैल 2014	450	-	450	8,786	3,953,700	9,884	32	316,288
ब. स्वच्छ जल राइजिंग मेन										
डीआई के-9 पाईप										
2	100 एमएम	जनवरी 2015	13,600	6,600	7,000	909	6,363,000	15,908	23	365,884
3	150 एमएम	जनवरी 2015	7,900	-	7,900	1,237	9,772,300	24,431	23	561,913
4	200एमएम	जनवरी 2015	29,140	14,140	15,000	1,644	24,660,000	61,650	18	1,109,700
					11,141	1,644	18,315,804	45,790	5	228,950
5	250 एमएम	जनवरी 2015	20,000	4,000	16,000	2,121	33,936,000	84,840	1	84,840
					10,000	2,121	21,210,000	53,025	7	371,175
					8,020	2,121	17,010,420	42,526	15	637,890
6	400एमएम	जनवरी 2015	21,300	2,057	19,243	3,609	69,447,987	173,620	1	173,620
					8,206	3,609	29,615,454	74,039	1	74,039
					7,381	3,609	26,638,029	66,595	2	133,190
					665	3,609	2,399,985	6,000	19	114,000

क्र.सं.	पाईपों का आकार	आपूर्ति के लिए निर्धारित माह	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मीटर में)	निर्धारित अवधि तक आपूर्तित कुल मात्रा (मीटर में)	विलम्ब के साथ आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	आपूर्ति हेतु दर (₹ में)	पाईप की लागत (₹ में)	0.25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	विलम्ब के माह	योग (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9 (8*0.25%)	10	11 (9*10)
7	450एमएम	जनवरी 2015	10,850	6,577	4,273	4,585	19,591,705	48,979	3	146,937
					214	4,585	981,190	2,453	3	7,359
					104	4,585	476,840	1,192	17	20,264
डीआई के-7 पाईप										
8	100एमएम	अगस्त 2015	63,200	58,301	4,899	813	3,982,887	9,957	3	29,871
					1,027	813	834,951	2,087	3	6,261
					13,027	813	10,590,951	26,477	10	264,770
9	125एमएम	अगस्त 2015	55,080	25,000	30,080	1,032	31,042,560	77,606	4	310,424
					28,028	1,032	28,924,896	72,312	1	72,312
					9,108	1,032	9,399,456	23,499	2	46,998
					24,108	1,032	24,879,456	62,199	2	124,398
					20,445	1,032	21,099,240	52,748	2	105,496
					17,471	1,032	18,030,072	45,075	5	225,375
10	150एमएम	अगस्त 2015	41,700	40,000	1,700	1,114	1,893,800	4,735	4	18,940
11	200एमएम	अगस्त 2015	35,650	15,000	20,650	1,365	28,187,250	70,468	4	281,872
					19,663	1,365	26,839,995	67,100	1	67,100
					6,634	1,365	9,055,410	22,639	6	135,834
					2,675	1,365	3,651,375	9,128	5	45,640
12	250एमएम	अगस्त 2015	5,400	900	4,500	1,718	7,731,000	19,328	16	309,248
13	350एमएम	अगस्त 2015	14,200	14,137	63	2,778	175,014	438	16	7,008
14	400एमएम	अगस्त 2015	31,750	21,646	10,104	3,063	30,948,552	77,371	10	773,710
					5,423	3,063	16,610,649	41,527	1	41,527
					5,104	3,063	15,633,552	39,084	5	195,420

क्र.सं.	पाईपों का आकार	आपूर्ति के लिए निर्धारित माह	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मीटर में)	निर्धारित अवधि तक आपूर्तित कुल मात्रा (मीटर में)	विलम्ब के साथ आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	आपूर्ति हेतु दर (₹ में)	पाईप की लागत (₹ में)	0.25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	विलम्ब के माह	योग (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9 (8*0.25%)	10	11 (9*10)
15	450एमएम	अगस्त 2015	12,840	7,280	5,560	3,684	20,483,040	51,208	10	512,080
					4,619	3,684	17,016,396	42,541	1	42,541
					1,869	3,684	6,885,396	17,213	5	86,065
एमएस पाईप										
16	100एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	1,362	681,000	1,703	13	22,139
					315	1,362	429,030	1,073	11	11,803
17	125एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	1,594	797,000	1,993	24	47,832
18	150एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	2,054	1,027,000	2,568	13	33,384
					478	2,054	981,812	2,455	1	2,455
					399	2,054	819,546	2,049	10	20,490
19	200एमएम	दिसम्बर2014	500	-	500	2,846	1,423,000	3,558	13	46,254
					452	2,846	1,286,392	3,216	11	35,376
20	250एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	3,455	1,727,500	4,319	13	56,147
					426	3,455	1,471,830	3,680	11	40,480
	350एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	4,855	2,427,500	6,069	24	145,656
21	400एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	5,732	2,866,000	7,165	24	171,960
22	450एमएम	दिसम्बर 2014	500	-	500	6,183	3,091,500	7,729	24	185,496
स. क्लस्टर वितरण प्रणाली										
डीआई के-7 पाईप										
23	100एमएम	मार्च 2016	261,680	171,668	90,012	828	74,529,936	186,325	1	186,325
					70,012	828	57,969,936	144,925	1	144,925
					67,012	828	55,485,936	138,715	3	416,145
					64,512	828	53,415,936	133,540	4	534,160
24	125एमएम	मार्च 2016	72,175	10,153	47,022	1,051	49,420,122	123,550	2	247,100
					40,684	1,051	42,758,884	106,897	7	748,279

क्र.सं.	पाईपों का आकार	आपूर्ति के लिए निर्धारित माह	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मीटर में)	निर्धारित अवधि तक आपूर्तित कुल मात्रा (मीटर में)	विलम्ब के साथ आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	आपूर्ति हेतु दर (₹ में)	पाईप की लागत (₹ में)	0.25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	विलम्ब के माह	योग (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9 (8*0.25%)	10	11 (9*10)
25	150एमएम	मार्च 2016	40,475	33,876	6,599	1,134	7,483,266	18,708	1	18,708
					2,724	1,134	3,089,016	7,723	8	61,784
एचडीपीई पीएन-6										
26	90एमएम	जून 2016	70,265	25,000	45,265	263	11,904,695	29,762	5	148,810
					35,265	263	9,274,695	23,187	1	23,187
27	110एमएम	जून 2016	54,150	17,100	37,050	344	12,745,200	31,863	6	191,178
28	125एमएम	जून 2016	46,795	12,024	34,771	428	14,881,988	37,205	6	223,230
29	140 एमएम	जून 2016	48,905	8,904	40,001	513	20,520,513	51,301	6	307,806
30	160एमएम	जून 2016	29,030	9,030	20,000	643	12,860,000	32,150	6	192,900
31	180एमएम	जून 2016	11,225	5,220	6,005	799	4,797,995	11,995	6	71,970
32	200एमएम	जून 2016	7,290	3,288	4,002	981	3,925,962	9,815	6	58,890
एमएस पाईप										
33	80 एमएम	अप्रैल 2015	400	-	400	1,189	475,600	1,189	20	23,780
34	100एमएम	अप्रैल 2015	300	-	300	1,376	412,800	1,032	20	20,640
35	125एमएम	अप्रैल 2015	600	-	600	1,609	965,400	2,414	20	48,280
36	150एमएम	अप्रैल 2015	300	-	300	2,034	610,200	1,526	20	30,520
37	200एमएम	अप्रैल 2015	100	-	100	2,735	273,500	684	20	13,680
द. ग्राम वितरण प्रणाली										
एचडीपीई पीएन-6(पीई-80) पाईप										
38	63एमएम	जुलाई 2016	199,011	24,700	174,311	167	29,109,937	72,775	5	363,875
39	75एमएम	जुलाई 2016	82,315	25,000	57,315	207	11,864,205	29,661	5	148,305
40	90एमएम	जुलाई 2016	67,688	25,000	42,688	265	11,312,320	28,281	5	141,405
41	110एमएम	जुलाई 2016	13,003	-	13,003	344	4,473,032	11,183	5	55,915
42	125एमएम	जुलाई 2016	5,229	-	5,229	428	2,238,012	5,595	5	27,975

क्र.सं.	पाईपों का आकार	आपूर्ति के लिए निर्धारित माह	आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा (मीटर में)	निर्धारित अवधि तक आपूर्तित कुल मात्रा (मीटर में)	विलम्ब के साथ आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	आपूर्ति हेतु दर (₹ में)	पाईप की लागत (₹ में)	0.25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	विलम्ब के माह	योग (₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (6*7)**	**9 (8*0.25%)**	**10**	**11 (9*10)**
डीआई के-7 पाईप लाईन										
43	100एमएम	जनवरी 2016	122,043	12,821	109,222	828	90,435,816	226,090	10	2,260,900
					111,722	828	92,505,816	231,265	1	231,265
44	150एमएम	जनवरी 2016	7,409	-	7,409	1,134	8,401,806	21,005	11	231,055
एमएस पाईप										
45	80एमएम	अप्रैल 2015	500	-	500	1,152	576,000	1,440	20	28,800
46	100एमएम	अप्रैल 2015	500	-	500	1,328	664,000	1,660	20	33,200
47	125एमएम	अप्रैल 2015	100	-	100	1,550	155,000	388	20	7,760
योग										**16,111,163**